भोपाल, दिनांक 26 जुन 2013

एफ क्र. 15-29-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :-

अनुसूची

जिला : झाबुआ तहसील : झाबुआ अधिकार अभिलेख तैयार ग्राम का नाम एवं क्र. करने के लिए प्राधिकत प.ह.नं. अधिकारी का नाम (1)(2) (3) 1. मूल ग्राम—दुधी अधीक्षक, भू-अभिलेख, 1. 2. नवीन ग्राम—खजरखो (नियमित) जिला झाबुआ. प.ह.नं. 83.

तहसील : मेघनगर

जिला : झाबुआ

- अधीक्षक, भू-अभिलेख, 2. 1. मूल ग्राम—गुवाली (नियमित) जिला झाबआ. 2. नवीन ग्राम-बाडीसेरा
 - 3. नवीन ग्राम—दोतड
 - 4. नवीन ग्राम—केलकुंआ
 - 5. नवीन ग्राम—कोयादरिया प.ह.नं. 08.

तहसील : पेटलावद

जिला : झाबुआ

- 1. मूल ग्राम—मोहनकोट अधीक्षक, भ्-अभिलेख,
 - 2. नवीन ग्राम—सेमलकण्डिया (नियमित) जिला झाबुआ.
 - 3. नवीन ग्राम—मोरझरिया प.ह.नं. 29.
- 1. मूल ग्राम—करडावद
 - 2. नवीन ग्राम-ठीकरिया पाडा प.ह.नं. 08.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-29-2013-सात-6.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-29-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-29-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:-

SCHEDULE

rumbir - gridoud		District Gillian
S. No.	Name of original	Designation of the Officer
	village	authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)

1. 1. Org. Vill.—Dudhee 2. New Vill.—Khjurkho P.H.No.—83.

Superintendent of Land Records (Regular), District-Jhabua.

Superintendent of Land

Records (Regular),

District—Jhabua.

District: Jhabua

District : Ihabua

Tahsil: Meghnagar

Tahsil · Ihahua

- Org. Vill.—Guwali
 New Vill.—Bandisera

 - New Vill.—Dotad
 New Vill.—Kelkuwa
 New Vill.—Koyadriya
 - P.H.No.—08.

Tahsil: Petlawad District: Jhabua

- Superintendent of Land 3. 1. Org. Vill.—Mohankot 2. New Vill.—Semalkundya Records (Regular), 3. New Vill.—Morzriya District—Jhabua. P.H.No.—29.
- 4. 1. Org. Vill.—Kardawad 2. New Vill.—Thikripada P.H.No.—08.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-30-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

अनुसूची

जिला: नीमच तहसील : जीरन अधिकार अभिलेख तैयार ग्राम का नाम एवं क्र. करने के लिए प्राधिकृत प.ह.नं. अधिकारी का नाम

- (2) (3) (1)1. मूल ग्राम—घसुण्डी जागीर अधीक्षक, भू-अभिलेख,
 - (नियमित) जिला नीमच. 2. नवीन ग्राम—खडवेल्या
 - 3. नवीन ग्राम—गांधीपुरा प.ह.नं. 10.